

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2012/00007

1. रामेश्वर आत्मज श्री प्रताप जाति मीणा ।
2. संदीप उर्फ बन्दी आत्मज श्री चम्पालाल जाति धाकड ।
3. परमानन्द आत्मज श्री हरदेव जाति धाकड ।
4. रामदयाल आत्मज श्री द्वारका लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थायी संरक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा जरिये अधिकारी ।
3. प्रताप आत्मज श्री बजरंगा जाति लुहार निवासी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 15.06.2021

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाक्या तहसील दीगोद में आराजी खसरा नम्बर 270 की 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 की 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 की 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 274 की 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 275 की 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 276 की 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 की 0.15 हैक्टर कुल 2.68 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी प्रतिमा श्री बडे मथुरेश जी के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पूर्व

में हवाला काशत में थी । माफी रिज्यूम होने के पश्चात् वादी मूर्ति इस भूमि की खातेदार कृषक है । उक्त भूमि पर वादी की स्वीकृति से प्रतिवादीगण काबिज थे । वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि से कब्जा छोड़ने के लिए कहा परन्तु उन्होंने वादी को कब्जा नहीं संभलाया है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज हैं जो काबिज बेदखली हैं । मूर्ति सदैव नाबालिंग है मूर्ति की खातेदारी की भूमि मूर्ति के अलावा अन्य किसी भी काबिज व्यक्ति को मूर्ति की ओर से ही काबिज कानूनन माना गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर वादी को दखल दिलवाने व नियमानुसार हर्जा दिलवाये जाने हेतु वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री पारित की जावे ।
4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार कर वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।
5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 के द्वारा दावा वादी स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाये जाने तथा उक्त भूमि पर कब्जा दिलाये जाने तक प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर वार्षिक लगान का 15 गुना सालाना हर्जाने के रूप में वादीगण को दिये जाने का आदेश पारित किया ।
6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्तीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्तीय ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्तीय को उक्त आराजी पर पिछले 50-60 वर्षों से बहैसियत मालिक कब्जा काशत चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्तीय का कब्जा है जिसे वादी ने भी स्वीकार किया है । राजस्थान कशतकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादी रेस्पोजेन्टगण के अधिकार समाप्त हो गये हैं । वादी का दावा मियाद बाहर है । अतः अपील अपीलान्तीय स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।
7. अपील अपीलान्तीय दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।
8. अपीलान्तीय के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्तीय को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलान्तीय निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्तीय पिछले 50-60 वर्षों से बहैसियत मालिक काबिज काशत चले आ रहे हैं और वह कानूनन उक्त भूमि के खातेदार हो गये हैं । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्तीय का कब्जा है जिसे वादी रेस्पोजेन्ट ने भी स्वीकार किया है । राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वादी रेस्पोजेन्ट के उक्त भूमि से अधिकार समाप्त हो गये हैं । वादीगण रेस्पोजेन्ट का वाद मियाद बाहर होने से निरस्तनीय था । वादीगण रेस्पोजेन्ट को कानूनन प्रतिवादीगण अपीलान्तीय के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से



निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोंडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोंडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है । वादी मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिंग है और वह अपने खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काशत करवा सकते हैं । मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काशत की जा रही हो परन्तु कब्जा मूर्ति मंदिर का ही माना जावेगा । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण अपीलान्त अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 बहाल रखा जावे ।
10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 प्रदर्श- 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बांक्या की नया खाता संख्या 84 की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 270 की 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 की 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 की 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 274 की 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 275 की 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 276 की 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 की 0.15 हैक्टर कुल 2.68 हैक्टर भूमि वादी मथुराधीश जी बडा मंदिर ठिकाना कोटा के नाम खातेदारी में दर्ज है ।
11. वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू डी- 1 नवीन शर्मा कराए गये हैं ।
12. वादग्रस्त आराजी वादी मूर्ति मंदिर बडे मथुरेश जी के नाम खातेदारी में दर्ज है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिंग है और वह अपने खातेदारी की भूमि को किसी भी व्यक्ति से काशत करवा सकता है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण बहसियत अतिक्रमी काबिज हैं जिससे वह बेदखली के पात्र हैं ।
13. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 07 तनकीयात कायम की और प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।
14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 बहाल रखा जाता है ।
15. निर्णय आज दिनांक 15.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2012/00007

1. रामेश्वर आत्मज श्री प्रताप जाति मीणा ।
2. संदीप उर्फ बन्दी आत्मज श्री चम्पालाल जाति धाकड ।
3. परमानन्द आत्मज श्री हरदेव जाति धाकड ।
4. रामदयाल आत्मज श्री द्वारका लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थायी संरक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा जरिये अधिकारी ।
3. प्रताप आत्मज श्री बजरंगा जाति लुहार निवासी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय डिक्री दिनांक 08.11.2019 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्या: 344/दावा/2009

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थायी संरक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा जरिये अधिकारी ।

—वादी

बनाम

1. रामेश्वर आत्मज श्री प्रताप जाति मीणा निवासी बाक्या तहसील दीगोद ।
2. प्रताप पुत्र बजरंगा जाति लुहार निवासी बांक्या तहसील दीगोद कोटा ।
3. हरदेव पुत्र भंवरलाल धाकड (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 3/1. चम्पालाल पुत्र हरदेव (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 3/1/1. सन्दी उर्फ बन्दी पुत्र चम्पालाल धाकड ।
 - 3/2. परमानन्द पुत्र हरदेव ।
 - 3/3. द्वारका लाल पुत्र स्व० हरदेव (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 3/3/1. रामदयाल पुत्र स्व० द्वारका लाल जाति धाकड निवासीगण बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।


—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 15.06.2021 को बहाजरी अपीलान्त की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 15.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई ।

मुहर



(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा